

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं० 3802  
दिनांक 18.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**प्रत्येक घर को पानी का कनेक्शन**

**3802. सुश्री सुनीता दुग्गलः**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु, हर घर में पानी का कनेक्शन देने के लिए कोई योजना या मिशन शुरू किया गया है;
- (ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा पिछले दो साल के दौरान सरकार द्वारा इस कार्य हेतु राज्य-वार कितनी निधि आवंटित की गई है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): प्रत्येक परिवार को समर्थ बनाने के लिए वर्ष 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के जरिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर सुनिश्चित पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में 3.60 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

प्रत्येक परिवार को उनके घरों में पीने योग्य पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता होने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और जीवन यापन आसान होगा। चूंकि, गांवों में पूरे परिवार के लिए पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है, अतः अपने घरों में नल से जलापूर्ति होने से उनके द्वारा किए जाने वाले कड़े श्रम में कमी होगी, उनकी गरिमा सुनिश्चित होगी तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए समय की बचत होगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) अथवा

पानी समिति, जो गांवों में जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन व रख-रखाव के प्रति जिम्मेदार हैं, उसमें 50% महिला सदस्यों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है तथा पेयजल की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी सशक्त होंगी।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ परिवारों (17%) के पास नल जल कनेक्शन की सूचना प्राप्त हुई थी। तब से 3.85 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार अब तक 19.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 7.08 करोड़ (37%) ग्रामीण परिवार नल जल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 और 2020-21 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित केन्द्रीय निधि के राज्य-वार ब्यौरा और अब तक परिवारों को उपलब्ध कराए गए नल जल कनेक्शन के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां **अनुबंध** में दी गई हैं।

\*\*\*\*\*

दिनांक 18.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3802 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम के तहत वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित केन्द्रीय निधि का ब्यौरा और वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित केन्द्रीय निधि (करोड़ रुपए में)		जल जीवन मिशन के प्रारंभ से नल जल कनेक्शन दिए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या (लाख में)
		2019-20	2020-21	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.78	2.93	0.32
2.	आंध्र प्रदेश	372.64	790.48	11.89
3.	अरुणाचल प्रदेश	132.55	254.85	0.68
4.	असम	694.95	1,608.51	3.81
5.	बिहार	787.31	1,839.16	131.30
6.	छत्तीसगढ़	208.04	445.52	2.47
7.	गोवा	7.57	12.41	0.64
8.	गुजरात	390.31	883.08	11.41
9.	हरियाणा	149.95	289.52	9.17
10.	हिमाचल प्रदेश	148.67	326.20	5.32
11.	जम्मू एवं कश्मीर	322.03	681.77	3.94
12.	झारखण्ड	267.69	572.24	3.59
13.	कर्नाटक	546.06	1,189.40	2.77
14.	केरल	248.76	404.24	3.92
15.	लद्दाख	166.65	352.09	0.02
16.	मध्य प्रदेश	571.60	1,280.13	22.02
17.	महाराष्ट्र	847.97	1,828.92	40.87
18.	मणिपुर	67.69	131.80	1.86
19.	मेघालय	86.02	174.92	0.66
20.	मिजोरम	39.87	79.30	0.40
21.	नागालैंड	56.49	114.09	0.33
22.	ओडिशा	364.74	812.15	16.46
23.	पुडुचेरी	2.50	4.64	0.11
24.	पंजाब	227.46	362.79	8.51
25.	राजस्थान	1,301.71	2,522.03	7.01
26.	सिक्किम	15.41	31.36	0.09
27.	तमिलनाडु	373.87	921.99	14.92
28.	तेलंगाना	259.14	412.19	38.38
29.	त्रिपुरा	107.64	156.61	1.75
30.	उत्तर प्रदेश	1,206.28	2,570.94	22.34
31.	उत्तराखण्ड	170.53	362.58	5.03
32.	पश्चिम बंगाल	995.33	1,614.18	11.19

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस